न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन भू.अभिलेख अधिकारी, जैतारण (जिला-पाली) राज.

ठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0
जस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 127/2020
CMS NO. : 2020/00244

-: प्रार्थीगण :- बनाम -: अप्रार्थीगण :-

. सुशिला पत्नी बीरमाराम जाति बावरी निवासी डिगरना तहसील जैतारण।

1. माधुराम पुत्र हरदीनराम जाति जाट निवासी डिगरना तहसील जैतारण।
2. तहसीलदार जैतारण, जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख रजू:. 07/10/2020

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 19/05/2022

वकील मय प्रार्थीगण ने एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, के तहत् विरुद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख.न. 1238/906 रकबा 3-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल सरहद मौजा डिगरना पटवार हल्का डिगरना मे आई हुई है उपरोक्त वर्णित आराजी की एक मात्र खातेदार काश्तकार प्रार्थीया ही है तथा उक्त आराजी राजस्व रेकर्ड में अलग से तरमीम हो रखी है । नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस प्रार्थनापत्र के साथ पेश है जिसे प्रार्थनापत्र का एक भाग माना जावे। उपरोक्त वर्णित प्रार्थीया खातेदारी की आराजी जमाबन्दी के रिकॉर्ड में अलग दर्ज है जिसमे एक मात्र प्रार्थीया ही खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रेकर्ड के नक्शा ट्रेस में प्रार्थीया की उक्त आराजी खसरा संख्या 1238/906 अलग से तरमीम है एवं नक्शे में लाल स्याही से अलग से तरमीम होकर के अंकित है तथा मौके पर भी प्रार्थीया की उक्त खातेदारी के चारो तरफ मांठे आदि कायम है जिस पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। उपरोक्त प्रार्थीया की खातेदारी भूमि पर आये दिन अप्रार्थी लडाई झगडा एवं विवाद करता रहता है तथा आये दिन अप्रार्थी कहता रहता है कि मौके पर प्रार्थीया के पास रेकर्ड से ज्यादा जमीन पर कब्जा है इसलिए वह आये दिन प्रार्थीया की मांठे बिखेर देता है एवं तारबन्दी को लेकर भी विवाद करता है। जबकि प्रार्थीया रिकॉर्ड के अनुसार ही मौके पर कायम है जिसमे अप्रार्थी का कोई कानूनी हक अधिकार नही है कि वह गैरकानूनी रूप से प्रार्थीया के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी करे या उसको काश्त करने से रोके परन्तु अप्रार्थी धनबल एवं लाठी के आधार पर प्रार्थीया की भूमि की मांठे बिखेरना, तारबन्दी मे लगे पत्थर तोड देना, कब्जे काश्त में दखलअन्दाजी करना, खडी फसल में पशुओ को छोडना आदि गैरकानूनी कृत्य अप्रार्थी आये दिन करता रहता है प्रार्थीया की भूमि मे अप्रार्थी का कानूनन कोई हक अधिकार नही है फिर भी अप्रार्थी यह कहते हुए कि प्रार्थीया के पास जमीन ज्यादा है उसने दुसरो की जमीन पर कब्जा

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

र रहा है इस प्रकार के आरोप लगाकर प्रार्थीया को शांतिपूर्वक काश्त नहीं करने रहा है इसलिए प्रार्थीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह र्थनापत्र बाबत् सीमाकंन का श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है। कि उपरोक्त वर्णित ाराजी प्रार्थीया की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी मे अप्रार्थी द्वारा वैधानिक रूप से दखलन्दाजी करने, मांटे बिखेर देने से एवं सीमा को लेकर वेवाद करने से प्रार्थीया को आये साल फसल के दौराने नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए दिनांक 18/09/2020 को प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर सीमाज्ञान करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थी संख्या 2 ने यह कहते हुए टाल दिया कि वहां पर पक्षकार आपस मे सहमत नहीं है इसलिए हम कोई सीमाज्ञान या सीमाकंन नही कर सकते है। इस कारण से अप्रार्थी के हौसले और ज्यादा बुलन्द हो गये और दिनांक 25/09/2020 को अप्रार्थी ने मौके पर सीमा को लेकर विवाद किया एवं ऐलानिया धमकी दी कि आयन्दा प्रार्थीया को उसकी जमीन मे काश्त करने नहीं देंगे तब प्रार्थीया के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् सीमाकन करवाने के लिये सादर पेश है। प्रार्थीया की उक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि अप्रार्थी द्वारा जबरदस्ती सीमा विवाद करने दखलन्दाजी करने, वाद विवाद करने पर प्रार्थीया ने पुलिस थाना आ0कालू मे भी रिपोर्ट दी थी परन्तु फिर भी अप्रार्थी अपनी हरकतों से बाझ नही आ रहा है एवं आये दिन प्रार्थीया की खातेदारी भूमि को लेकर के सीमा विवाद करते है मांठ तोड़ देते है प्रार्थीया जो कि अनुसूचित जाति की महिला है जबकि अप्रार्थी धनबल वाला व्यक्ति है एवं लाठी के आधार पर प्रार्थीया को उसकी खातेदारी भूमि से वंचित करने के नापाक इरादे रखता है यदि अप्रार्थी अपनी इन गैरकानूनी मंसुबो मे कामयाब होता है एवं आये दिन सीमा को लेकर विवाद करता है या प्रार्थीया के खेत की मांठ वगैरा तोड देता है तो प्रार्थीया को हर साल अपूर्णिय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है प्रार्थीया के जीवन यापन करने का एक मात्र सहारा उक्त कृषि भूमि है यदि अप्रार्थी तारबन्दी हटाता है या मांठे तोड देता है या दखलन्दाजी करता है तो प्रार्थीया को अपने साम्पतिक जायज हक अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा। इसलिए प्रार्थीया की सम्पूर्ण भूमि का सीमाज्ञान करवाया जावे एवं अप्रार्थी को पाबन्द भी किया जावे कि भविष्य मे प्रार्थीया की आराजी मे कोई हस्तक्षेप बाधा अड़चन या सीमा विवाद नही करे। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है जो उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र [illegible] गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। अ[illegible] वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। [illegible] 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया गया कि प्रार्थ[illegible] पत्र के पद संख्या 01 में कथन कतई गलत होने से अस्वीकार है। बल्कि वास्तविकता इस प्रकार से है कि राजस्व मौजा डिगरना में स्थित खसरा नम्बर 932/1 जवाब देहन्दा की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

मि है तथा इस भूमि से लगभग तीन सौ मीटर दूर रामपाल बावरी जो कि र्थीया सुशीला का ससुर है की ढाणी के पास स्थित है। उक्त रामलाल की ढाणी चिपते हुये जवाब देहन्दा के खसरा नम्बर 1238/906 रकबा 03 बीघा 07 स्वा की भूमि आई हुई थी तथा रामपाल बावरी डिगरना निवासी अमराराम पुत्र करराम जाट की खातेदारी भूमि पर काश्तकारी का कार्य करता रहा है जिस पर करराम मादाराम जाट ने अपनी जायज जरूरत हेतु भूमि की आवश्यकता होने जवाब देहन्दा के सामने अपनी उक्त खातेदारी भूमि को बैचने का प्रस्ताव रखा त्पश्चात आपसी बातचीत अनुसार सौदा तय होने पर पोकरराम जाट ने अपनी त्नि केलकी देवी के नाम से इस खातेदारी भूमि का बैचान विलेख पंजीबद्ध करवाया था। नकल बैचाननामा इस जवाब के साथ पेश है। कि तत्पश्चात केलकी देवी ने अपने काश्तकार रामपाल को इस वादग्रस्त खसरा नम्बर 1238/906 की भूमि का बैचान करते हुये उसकी ढाणी के पास ही कब्जा सौपा था जिस पर बैचाननामा रामपाल की पुत्रवधु सुशीला के नाम से किया गया है। इस प्रकार से उक्त वादग्रस्त भूमि रामपाल बावरी की ढाणी के पास स्थित है परन्तु सुशीला देवी व उसके ससुर ने हल्का पटवारी से मिलकर उक्त तरमीम गलत जगह करवा दी है मौके पर जिस स्थान पर सुशीला देवी अपनी भूमि तरमीम होना बता रही है उस स्थान का बैचान जवाब देहन्दा ने केलकी देवी को नही किया था एवं न केलकी देवी ने ऐसा बैचान सुशीला देवी को किया है। बल्कि बैचाननामा रामलाल की ढाणी के पास किया गया है। इस प्रकार से गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थीया सुशीला देवी जवाब देन्हदा से निराधार विवाद कर रही है जो कतई गलत होने से अस्वीकार है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 02 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित तथ्यों से सम्बन्धित जानकारी इस जवाब दावा के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है। मौके पर तरमीम सुदा स्थल पर न तो सुशीला देवी का कोई कब्जा है न ही हक अधिकार है। बल्कि उक्त भूमि रामपाल की ढाणी के पास स्थित है उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 03 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित तथ्यो से सम्बन्धित जानकारी इस जवाब दावा के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है। मौके पर तरमीम सुदा स्थल पर न तो सुशीला देवी का कोई कब्जा है न ही हक अधिकार है। इस प्रकार से प्रार्थीया ने जवाब देहन्दा पर मौके पर ज्यादा भूमि होने व माठ बिखेर देने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये है। जवाब देहन्दा द्वारा बैचान सुदा भूमि को लेकर किसी भी प्रकार कोई [illegible] प्रार्थीया सुशीला देवी गलत तरमीम के आधार पर मौके पर आकर [illegible] देहन्दा से विवाद कर रही है जो कतई गलत है। साथ ही प्रार्थीया सुशीला देवी के द्वारा करवायी गई गलत तरमीम काबिल दुरुस्ती के है। उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 04 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित तथ्यों से सम्बन्धित

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

नकारी इस जवाब दावा के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है। मौके पर रमीम सुदा स्थल पर न तो सुशीला देवी का कोई कब्जा है न ही हक अधिकार । इसके बावजूद भी प्रार्थीया सुशीला देवी ने दिनांक 18.09.2020 व दिनांक 5.09.2020 का उल्लेख करते हुये यह निराधार कार्यवाही पेश की है प्रार्थीया सुशीला देवी की भूमि तरमीम सुदा स्थल पर नही होकर उक्त भूमि रामपाल की ाणी के पास स्थित है उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 05 में वर्णित कथन व लगाये गये आरोप कतई गलत होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित तथ्यो से सम्बन्धित जानकारी इस जवाब दावा के पद संख्या 01 में दी जा चुकी है। मौके पर तरमीम सुदा स्थल पर न तो सुशीला देवी का कोई कब्जा है न ही हक अधिकार है। इस प्रकार से प्रार्थीया ने जवाब देहन्दा पर मौके पर ज्यादा भूमि होने व माट बेखेर देने से सम्बन्धित झूठे आरोप लगाये है। साथ ही पूर्व में प्रार्थीया ने जवाब देहन्दा पर अनुसूचित व जनजाति अत्याचार निर्वारण अधिनियम के तहत झूठे प्रकरण दर्ज करवाये है जो बाद जांच के झूठे माने गये है। अब पक्षकारो के बीच भूमि के नाप चौप को लेकर कोई विवाद नही. है। न ही जवाब देहन्दा द्वारा बैचान सुदा भूमि को लेकर किसी भी प्रकार कोई विवाद है। लेकिन प्रार्थीया सुशीला देवी गलत तरमीम के आधार पर मौके पर आकर जवाब देहन्दा से विवाद कर रही है जो कतई गलत है। साथ ही प्रार्थीया सुशीला देवी के द्वारा करवायी गई गलत तरमीम काबिल दुरूस्ती के है । उक्त तथ्यों के अलावा सम्पूर्ण पद असत्य होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 06 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत बाला के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 07 कानूनी है जो काबिल गौर अदालत बाला के है। प्रार्थना पत्र के पद संख्या 08 प्रार्थीया की इस्तदुआ है जो कतई असत्य झूठी व बेबुनियाद होने से अस्वीकार है। इस पद में वर्णित अनुसार प्रार्थीया सुशीला देवी जवाब देहन्दा के विरूद्ध किसी भी प्रकार की इस्तदुआ पाने की अधिकारी नहीं होने से प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज के होने से खारिज किया जावें।

पत्रावली एवं संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन् निम्नानुसार है–

1. प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम डिगरना तहसील जैतारण में प्रार्थीया की खातेदारी कृषि भूमि खसरा संख्या 1233/906 रकबा 3–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल स्थित है जिस पर प्रार्थीया काबिज काश्त है। प्रार्थी की भूमि राजस्व रेकर्ड के नक्शे में तरमीम है तथा मौके पर अलग बंटी हुई है लेकिन अप्रार्थी बिना किसी हक एवं अधिकार के प्रार्थी की जमीन में दखलन्दाजी करना शुरू कर दिया तथा सीमाझान व मांट को लेकर अप्रार्थीगण विवाद करते है। अप्रार्थी आये दिन कहता रहता है कि मौके पर प्रार्थीया के पास रेकर्ड से ज्यादा जमीन पर कब्जा है इसलिए वो आये दिन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:37:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ार्थीया की माठे बिखेर देता है तथा तारबंदी को लेकर भी विवाद करता है। जबकि ार्थीया रिकॉर्ड के अनुसार ही मौके पर कायम है। अप्रार्थी सीमाज्ञान करवाने के लिए भी तैयार नही है। अतः प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 238/906 एवं इससे लगती अप्रार्थी की आराजीयात् के मध्य मौके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर नाप चौप किया जाकर पत्थरगढी करवायी जाये, तथा अप्रार्थीगण द्वारा मौके पर विवाद करने के कारण आदेश की पालना जरिए पुलिस इमदाद करवायी जाये।

2. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम डिगरना में स्थित खसरा संख्या 932/1 जवाबदेहन्दा की खातेदारी भूमि है। तथा इस भूमि से लगभग 300 मीटर दूर रामपाल बावरी जो प्रार्थिया सुशीला का ससुर है की ढाणी के पास स्थित है। उक्त ढाणी के चिपते हुऐ खसरा संख्या 1238/906 की भूमि आयी हुई है। खातेदार पोकरराम ने अपनी पत्नी केलकी देवी के नाम का बेचान विलेख अपने काश्तकार रामपाल की पुत्रवधु सुशीला के नाम खसरा संख्या 1238/906 का करवाया जो कि वादग्रस्त भूमि रामपाल बावरी की ढाणी के पास स्थित है परन्तु तरमीम गलत जगह होने से सुशीला देवी अनावश्यक विवाद कर रही है जो अस्वीकार है। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र काबिल खारिज फरमावे।

3.. वादग्रस्त आराजी के भू अभिलेख जमाबंदी संवत् 2073 ग्राम डिगरना के अनुसार खसरा संख्या 1238/906 रकबा 3-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल खातेदार सुशीला पत्नी बिरमाराम जाति बावरी साकिन देह के नाम दर्ज है। तथा भू नक्शे में तरमीमशुदा है।

4. अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट नही किया है कि वादग्रस्त आराजी में उसका किस रूप में तथा किस प्रकार से हक निहित है जबकि भू अभिलेख के अनुसार वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया के नाम खातेदारी दर्ज है। तथा अप्रार्थी द्वारा भी यह स्वीकार किया गया है कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीया द्वारा क्रय की गई है। अप्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट नही किया गया है कि वादग्रस्त आराजी की तरमीम किस प्रकार से अशुद्ध है तथा न ही अप्रार्थी द्वारा अपनी ओर से किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजी की शुद्ध तरमीम प्रस्तावित की गई है। इस कारण अप्रार्थी की आपतियां स्वीकार योग्य नही है।

5. चूंकि उपर्युक्त खसरा की आराजी भू नक्शा में तरमीमशुदा है तथा जमाबंदी में कुल रकबा अंकित है। खातेदारान् के मध्य खसरा विशेष की वास्तविक सीमा की अवस्थिति को लेकर विवाद होना स्वाभाविक है तथा ऐसे विवादो का समाधान मोके पर सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमा पर स्पष्ट सीमाचिह्न अधिरोपित करवाते हुए करवाया जा सकता है ताकि काश्तकारो के मध्य अनावश्यक विवाद एवं जटिलता उत्पन्न न हो। अतः हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब स्वीकार करते हुए प्रार्थी की आराजी खसरा संख्या 1238/906 का काबिक जमाबंदी एवं भू नक्शा मौके पर नाप चौप करते हुए प्रार्थीया एवं अप्रार्थी के मध्य सीमाज्ञान करवाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू-अभिलेख अधिकारी
जैतारण (पाली)

ाकर प्रार्थीया के खर्चे पर प्रार्थीया की आराजी की सीमा पर सीमाचिह्न धिरोपित करवाया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी ंतर्गत धारा 128, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 भलीभांती साबित ोनें एवं सारवान होने से स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, जैतारण को निर्देश देए जाते हैं कि ग्राम– डिगरना तहसील–जैतारण, जिला–पाली में स्थित प्रार्थीया की आराजी खसरा संख्या 1238/906 रकबा 3–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल का ब्रातेदारान के मध्य राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 111 में वेहित प्रकिया का अनुपालन करते हुए मुताबिक जमाबंदी एवं भू नक्शे मौके पर ाप चौप कर सीमाज्ञान कर सीमा विवाद का निस्तारण करें, प्रार्थीया के हर्जे खर्चे से उक्त आराजी के सीमा–विभाजक रोपित करावें। उभय पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वक्त कार्यवाही मौके पर उपस्थित रहें। उक्त कार्यवाही अनिवार्य रूप से मानसून आगमन से पूर्व अर्थात 30 जून 2022 से पूर्व संपादित करवा दी जावे। यदि मौके पर खातेदारान् के मध्य विवाद एवं अशांति की आशंका हो तो संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद लेकर आदेश का मौके पर क्रियान्वयन करवाया जाये। तहसीलदार, जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर, दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन भू–अभिलेख अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

निर्णय आज दिनांक 19/05/2022 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
भू–अभिलेख अधिकारी,जैतारण
(जिला–पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.06.14 17:57:07 IST
Reason: SelfAttested